



नशे में था चालक ,पुलिस ने हाईवा किया जब्त कटनी। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन सड़क सुरक्षा’ अभियान के तहत थाना बड़वारा पुलिस ने शराब के नशे में हाइवा चला रहे चालक के विरुद्ध कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हाइवा क्रमांक MP 20 HB 5543 का चालक भानुपुरा क्षेत्र में लापरवाही और अनियंत्रित ढंग से चहाने चला रहा है, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने भानपुरा के पास घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। संदेह होने पर चालक का ब्रीथ एनालाइजर से परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने हाइवा को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया तथा चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने संभावित बड़े सड़क हादसे को टाल दिया गया।

पटवारी ने सीमांकन कराने के एवज में मांगी थी रिश्तत

हरिभूमि न्यूज़ ►► स्लीमनाबाद

लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्लीमनाबाद तहसील के ग्राम कौड़िया में पदस्थ पटवारी स्वयं प्रकाश मेहरा को पांच हजार की रिश्तत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने सीमांकन करने के नाम पर शिव कुमार जायसवाल कौड़िया निवासी से पांच हजार रुपये की रिश्तत की मांग कर रहा था। शिकायत की पुष्टि होने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी को रिश्तत की राशि लेते समय पकड़ लिया गया। लोकायुक्त की कार्रवाई की जानकारी जैसे ही राजस्व अमले व अधिकारियों को लगी, हड़कंप

युवक से 18 हजार रुपये कीमती 300 पाव अवैध देशी शराब जब्त

हरिभूमि न्यूज़ ►► कटनी

कोतवाली पुलिस ने 300 पाव अवैध देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 18 हजार रुपये बताई गई है। कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि आधारकाप स्थित गिरजा घाट के पास एक युवक बिक्री के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में देशी शराब छिपाकर रखे हुए है। सूचना पर चौकी खिरहनी पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी भागकर झाड़ियों में छिप गया, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनुज निषाद 20 वर्ष निवासी आधारकाप बताया। तलाशी के दौरान झाड़ियों में रखे

नदीपार स्थित चौरसिया एवं बरगवां में दिव्यांचल मैरिज गार्डन पर कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज़ ►► कटनी

नगर पालिक निगम कटनी द्वारा शहर में बिना वैधानिक अनुमति एवं निर्धारित नियमों के विरुद्ध संचालित विवाह स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को निगम प्रशासन ने इंदिरा गांधी वार्ड के नदीपार क्षेत्र स्थित चौरसिया मैरिज गार्डन तथा महाराणा प्रताप वार्ड के बरगवां क्षेत्र स्थित दिव्यांचल मैरिज गार्डन को सील करते हुए उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। निगम प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई “मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं आदर्श उपविधि, 2020” के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई। जांच के

जिला पंचायत सीईओ की समीक्षा बैठक, योजनाओं में प्रगति लाने ने दिए निर्देश

लापरवाही पर एक्शन: दो उपयंत्रियों को थमाया नोटिस, एक को किया अवैतनिक

हरिभूमि न्यूज़ ►► कटनी

विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत अपूर्ण महिला एवं बाल विकास विभाग से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों और अन्य निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्ता पूर्ण तरीके से तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए तत्परता के साथ पूर्ण कराएं। यह निर्देश जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास की समीक्षा करते हुए जनपद स्तरीय अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने विकासखंड वार सांसद निधि एवं विधायक निधि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, वाटर शेड, अधो संरचना, स्टॉम्प शुल्क, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना, वृंदावन योजना, आंगनवाड़ी भवनों एवं अन्य योजनाओं कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा करते हुए प्रगति की जानकारी ली।

समीक्षा बैठक में सहायक कलेक्टर श्लोक वाइकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन



अधिकारी अनुराग मोदी मौजूद रहे। सुश्री कौर ने महिला एवं बाल विकास विभाग से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जनपद पंचायत रीठी के दो उपयंत्रियों चेतन सोनी और अमित गुप्ता को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 सहित केंद्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में त्वरित कार्यवाही करते हुए

जरूरत मंद नागरिकों को पात्रता के अनुसार लाभान्वित कराएं। जिला पंचायत सीईओ ने एनआरएलएम की समीक्षा करते हुए जनपद पंचायत दीमरखेड़ा के राज्य आजीविका मिशन के लोक सेवकों द्वारा खाता खोलने में रुचि नहीं लिए जाने के कारण वेतन कटौती के निर्देश दिए। एबीएम सुधीर बिंद के समीक्षा बैठक में बिना सूचना दिए अनुपस्थिति रहने पर अवैतनिक करने के निर्देश अधिकारियों के दिए।

कोताही पर होगी सख्त कार्यवाही

जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने

निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित अपूर्ण नल जल योजनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजनाओं के हस्तांतरित किए जाने के पूर्व भली भांति परीक्षण कर लें। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता से नागरिकों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएँ जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत एवं अन्य योजनाओं से स्वीकृत निर्माण कार्यों को नियत समय सीमा में गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण कराते हुए भौतिक पूर्णता एवं सीसी जरी कराया जाना सुनिश्चित करें। सुश्री कौर ने समीक्षा करते हुए नागरिकों से आवेदन पत्रों, शिकायतों और समस्याओं के प्रति जवाबदेही से संवेदनशील रहकर तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर समाधान करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।



रेत का अवैध परिवहन करते 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

हरिभूमि न्यूज़ ►► कटनी

जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं उत्खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़वारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन में संलिप्त तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं डीएसपी मुख्यालय रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई। थाना बड़वारा पुलिस द्वारा ग्राम निगहरा मोड़, रोहनिया, परसेल एवं बिलायतकलां क्षेत्र में गश्त और अपराधियों की तलाश के दौरान अवैध रेत परिवहन की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम रोहनिया में एक महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए जाने पर चालक सागर कोल (23) निवासी रोहनिया को रोका गया। इसी प्रकार ग्राम परसेल में आयशर ट्रैक्टर-ट्रॉली

से अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर चालक आजाद रौतेल (23) निवासी परसेल तथा ग्राम बिलायतकलां में महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली से रेत परिवहन करते पाए जाने पर चालक सिपाही केवट (25) निवासी बिलायतकलां से पूछताछ की गई। पुलिस द्वारा तीनों चालकों से रेत परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने तीनों ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया तथा उनके विरुद्ध धारा 106 बीएनएसएस के तहत वैधानिक कार्रवाई की। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक के.के. पटेल, सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह, महेश प्रताप सिंह तथा आरक्षक दीपक सिंह, बृजलाल प्रजापति, गौरीशंकर राजपूत और शिवप्रकाश तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।

यातायात नियमों का करें पालन, नशे में न चलाये वाहन

हरिभूमि न्यूज़ ►► डीमरखेड़ा

मंगलवार को व्यवहार न्यायालय दीमरखेड़ा परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायाधीश पूर्वी तिवारी ने उपस्थित पक्षकारों एवं आमजनों को यातायात नियमों तथा कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और लोग सुरक्षित व



जिम्मेदारीपूर्वक वाहन चला सकें। इस दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट के उपयोग, यातायात संकेतों के

पालन तथा वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया गया।

शिविर में दुर्घटना होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया तथा दंडात्मक प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। साथ ही शराब पीकर वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी गई।

कार्यक्रम में कुल 32 महिला एवं पुरुष पक्षकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर न्यायालयीन स्टाफ शिवम उपाध्याय, नायब नाजिर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

हरिभूमि

समाचार ही नहीं, विचार भी

सुनहरा मौका, सुनिश्चित उपहार 2026

प्रथम उपहार 1 कार

द्वितीय उपहार 3 नग वाईक

तृतीय उपहार 10 नग LED TV

चतुर्थ उपहार 5 नग फ्रीज

पांचवा उपहार 8 नग वाशिंग मशीन

छठवां उपहार 15 नग गैस चूल्हा

सातवां उपहार 25 नग सिलिंग फैन

आठवां उपहार 40 नग ट्राली बैग

नवां उपहार 500 नग हॉट पॉट

दसवां उपहार 600 नग लंच बाक्स

ग्यारहवां उपहार प्रत्येक प्रतिभागी को सात्वना उपहार

नियम एवं शर्तें :-

- यह सुनहरा मौका, सुनिश्चित उपहार योजना 1 मई 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक अवधि के लिए है।
- हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक इसमें भाग ले सकते हैं।
- महालक्ष्मी हू. में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को एक सुमिरिक्व उपहार जीतने का अवसर होगा।
- इस योजना अवधि में हरिभूमि समाचार पत्र में कुल 50 कूपन (35 सामान्य कूपन एवं 15 मास्टर कूपन) प्रकाशित किये जाएंगे।
- योजना में भाग लेने के लिये पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित फार्मेट पर उपरोक्त अवधि के दौरान समाचार पत्र में प्रकाशित 50 कूपनों में से कुल 30 कूपन (20 सामान्य एवं 10 मास्टर कूपन) छिपकने होंगे।
- फोटोवर्षिका का कट-कट कूपन व फार्मेट भण्ड नहीं होने।
- राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सभी नियम लागू होंगे।
- सुनहरा मौका सुमिरिक्व उपहार योजना के विजेता को आवक के नियम व शर्तें मान्य होंगी।
- हरिभूमि निर्मावक मंडल का निर्गम अंतिम एवं सर्वमन्य होगा।
- किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र वायव्य (छ. म.) होगा।
- विजय बहाई नर उपहार वास्तविक उपहार से विन्य हो सकते हैं।
- हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हो सकते।

आज ही हरिभूमि की प्रति बुकिंग करावें

हरिभूमि कार्यालय : 66/1, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई जिला जबलपुर

मो. 9479623424, 9340637789



खबर संक्षेप

पौधारोपण की तैयारियों की निगमायुक्त ने की समीक्षा कटनी। आगामी वर्षा ऋतु में नगर को अधिक हरा-भरा और पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम ने व्यापक वृक्षारोपण अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस से प्रारंभ हुए पौधारोपण कार्यक्रमों एवं आगामी वृहद वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्था समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश विगत दिवस आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए। समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि पौधारोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का संकल्प है। उन्होंने उद्यान शाखा के अधिकारियों को नगर के प्रमुख मार्गों, उद्यानों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय परिसरों तथा उपलब्ध भूमि पर पौधारोपण हेतु उपयुक्त स्थानों का चयन, गड्ढों की तैयारी, पौधों की उपलब्धता, सिंचाई एवं संरक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि लगाए गए पौधों का संरक्षण अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पौधे की नियमित देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित कर उसकी जीवितता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि पौधारोपण के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

किराया जमा नहीं करने पर दो दुकानों में नजि ने जड़ ताला



कटनी। नगर पालिक निगम द्वारा निगम स्वाभिव्यक्ति की संपत्तियों से राजस्व वसूली के लिए अभियान प्रारंभ कर दिया है। मंगलवार को बस स्टैंड परिसर स्थित निगम स्वाभिव्यक्ति की दो दुकानों दुकान क्रमांक 21 एवं दुकान क्रमांक 8 के आवंटियों द्वारा लंबे समय से किराया बकाया होने पर निगम प्रशासन द्वारा तालाबंदी की कार्रवाई संपादित की गई। निगम के राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि संबंधित दुकानदारों को बकाया किराया जमा करने हेतु पूर्व में कई बार सूचना दी गई थी। इसके बावजूद दुकान क्रमांक 28 के आवंटी द्वारा सितंबर 2025 से बकाया किराया राशि 15 हजार 996 रुपये तथा दुकान क्रमांक 8 के आवंटी द्वारा अप्रैल 2024 से 5 हजार 104 बकाया किराया राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किए जाने पर निगम प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई। इस दौरान राजस्व निरीक्षक विनोद सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। राजस्व अधिकारी श्री पाठक ने बताया कि कार्यवाही के उपरांत दुकान क्रमांक 28 के आवंटी द्वारा बकाया किराया राशि निगम कोष में जमा किए जाने पर राजस्व वसूली अमले द्वारा नियमानुसार दुकान में लगाए गए ताले को खोलने की कार्यवाही की गई।

प्रकरणों के त्वरित एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण पर दें विशेष ध्यान

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ कटनी

नगर पालिक निगम कटनी की निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने निगम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित सी.एम. हेल्पलाइन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। निगमायुक्त तपस्या परिहार ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान निगम प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा प्रत्येक शिकायत का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

समय सीमा में करें निराकरण

समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने

महापौर ने कहा सभी वार्डों में जन सुविधाओं के लिये प्राथमिकता से कराये जा रहे कार्य

एक करोड़ के कार्यों की रखी गई आधारशिला सुविधाओं के विस्तार से बदलेगी वार्ड की तस्वीर

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ कटनी

नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास कार्यों का सिलसिला निरंतर जारी है। जयप्रकाश वार्ड में लगभग 1.06 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरि, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सोनी, क्षेत्रीय पार्षद सुभाष साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

स्वीकृत विकास कार्यों के अंतर्गत जयप्रकाश वार्ड में रामलीला मैदान क्षेत्र से जुड़े मार्गों का सी.सी. सड़क निर्माण, विभिन्न गलियों में सी.सी. नाली निर्माण एवं मरम्मत कार्य, क्षतिग्रस्त मार्गों का डामरीकरण, नाला सुधार कार्य तथा सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टि से रिटेंनिंग वाल निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही जलभराव की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संरचनात्मक कार्य भी किए जाएंगे। इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद वार्ड में आवागमन



सुविधाएं बेहतर होंगी, बरसात के दौरान जलभराव की समस्या में कमी आएगी तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध होगा।

विकास की रोशनी से सशक्त होंगे शहर के वार्ड - महापौर

महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरि ने कहा कि नगर निगम शहर के प्रत्येक वार्ड तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के माध्यम

से सभी वार्डों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। महापौर ने कहा कि नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे शहर के सभी वार्ड सशक्त बनें और लोगों को बेहतर सुविधाएं एवं जीवन स्तर प्राप्त हो सके।

नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ

भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सोनी (टंडन) ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार एवं नगर निगम के समन्वित प्रयासों से शहर

परिवहन विभाग के अधिकारी को हटाने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन



जाने की कार्रवाई भी की गई है।

पार्टी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जांच में उनकी सत्यापित वैध आय लगभग 73.26 लाख पाई गई, जबकि लगभग 4.80 करोड़ की संपत्तियां एवं व्यय सामने आए, जिससे लगभग 4.06 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का मामला उजागर हुआ। इसके

अतिरिक्त बैंक खातों में ऋण किस्तों के भुगतान से पूर्व बार-बार नकद राशि जमा किए जाने के तथ्य भी जांच में सामने आए हैं।

पार्टी ने कहा कि इतने गंभीर मामलों एवं जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद संबंधित अधिकारी का महत्वपूर्ण पद पर बने रहना जनता के बीच शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार

विरोधी नीति पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। जिले के ट्रान्सपोर्टों, वाहन मालिकों एवं वाहन चालकों द्वारा भी समय-समय पर अवैध वसूली, उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें उठाई जाती रही हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि आय से अधिक संपत्ति प्रकरण में प्रस्तुत खाता रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज होने के बाद न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई का अभाव जनता के बीच संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। पार्टी ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए श्री संतोष पाल को जांच पूर्ण होने तक तत्काल कटनी जिले से हटया जाए तथा उनके विरुद्ध लंबित मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।

थाना एनकेजे पुलिस पर लगाये आरोप, हाईवे में कई घंटे लगा रहा जाम

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ कटनी

थाना के अंदर एक नाबालिग के साथ कथित मारपीट करने से लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने कटनी-शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग पर चकाजाम प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि एनकेजे थाने में पावती लेने गए एक नाबालिग को पुलिस ने बेरहमी से पीटा गया। इस घटना के बाद जुहली मोड़ पर ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले इस हंगामे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और मझगवां टोल नाके तक वाहनों की कतारें लग गईं। लोगों का आरोप है कि पीड़ित नाबालिग लड़का थाने में दी गई एक राहट के पीछे ही मारा गया था। इसी बात पर एनकेजे थाने के

बाद भी उन्हें राशि नहीं मिली है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम बड़ागांव के निवासी वृंदावन साहू ने आवेदन दिया कि उनके खेत से गुजरी बिजली लाइन के तार बहुत नीचे लटक रहे हैं, जिससे जान-माल के नुकसान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने तार हटवाने या ऊँचा करने की मांग की है ताकि वे सुगमता से कृषि कार्य कर सकें।

जन सुनवाई में 190 आवेदकों ने बताई समस्याएं

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ कटनी

जनसुनवाई में अधिकारियों ने सुनीं 190 आवेदकों की समस्याएं कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को जनसुनवाई में अधिकारियों ने जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए 190 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को इनके निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर जितेन्द्र पटेल एवं डिप्टी कलेक्टर विंकी सिंह उड्डेक मौजूद रहे।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम परसवारा निवासी रमुआ पटेल ने आवेदन देकर बताया कि उनकी भूमि (खसरा संख्या 724) का वास्तविक रकबा 0.44 हेक्टेयर है, जिसे गलत तरीके से 0.14 हेक्टेयर दर्ज कर दिया गया है। आवेदक ने इस त्रुटि सुधार कर पुनः 0.44 हेक्टेयर किए जाने की मांग की। इसी प्रकार ग्राम सिजहनी निवासी संदीप



कुमार कोरी ने बताया कि तहसील कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद उनके भूमि रिकॉर्ड में नाम सुधार नहीं हो पाया है। उन्होंने अपने दस्तावेजों के अनुरूप वास्तविक नाम दर्ज करने की मांग की है। ग्राम बिघपुरा की बुजुर्ग महिला प्यारी बाई कोल ने अपनी जमा कर्मचारी भविष्य निधि राशि का भुगतान न मिलने की समस्या रखी। उन्होंने बताया कि कुटेश्वर लाइम स्टोन माइंस से सेवानिवृत्त होने के

निगमायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

अनावश्यक रूप से लंबित रखने एवं लापरवाही पर होगी सख्त कार्यवाही



विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का निराकरण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सी.एम. हेल्पलाइन शासन की महत्वपूर्ण जनहितकारी व्यवस्था

है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं शासन-प्रशासन तक पहुंचाते हैं। ऐसे में शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों पर सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्यवाही करते हुए प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण

निराकरण करने के निर्देश दिए।

समन्वय से करें कार्यवाही

सुश्री परिहार ने लोक निर्माण, स्वास्थ्य, जलप्रदाय, राजस्व, भवन, स्थापना एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों

की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का संबंध एक से अधिक विभागों से है, उनमें विभागीय समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि नागरिकों को समय पर राहत मिल सके।



निगम प्रशासन ने कबाड़ की दुकान को किया सील

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ कटनी

नगर में सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को मदन मोहन चौबे वार्ड स्थित मुन्नु चौबे गली में सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण एवं मनमानी कर सार्वजनिक मार्ग को बाधित कर नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रही कबाड़ दुकान को निगम प्रशासन द्वारा सील करने की कार्यवाही की गई।

अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह ने बताया कि बरगांव निवासी कबाड़ व्यवसायी मुंडा कबाड़ी द्वारा लंबे समय से सार्वजनिक मार्ग एवं आसपास के क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कबाड़ सामग्री का भंडारण कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा

था। इससे नागरिकों के आवागमन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही थी तथा क्षेत्र की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं। साथ ही खुले में रखी कबाड़ सामग्री से दुर्घटना एवं सुरक्षा संबंधी खतरे भी बने हुए थे।

निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में संबंधित व्यवसायी को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से चेतावनी देकर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लगातार चेतावनियों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मंगलवार को पुनः किए गए निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम अमले ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल अथवा मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करें।

ट्रक में अचानक भड़क उठी आग, मची अफरा तफरी



कुठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत चाका स्थित एक बॉडी रियेयर शॉप में खड़े डंपर में अचानक आग लग गई। आग की तेज लपटों के कारण आसपास हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही कुठला पुलिस को लगी, तत्काल थाना प्रभारी अखिलेश दहिया टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और समय रहते आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक दृष्टियों के मुताबिक यदि कुठला पुलिस ने तत्परा दिखाते हुए त्वरित कार्यवाही नहीं की होती तो यहां बड़ी घटना भी हो सकती थी। कुठला थाना प्रभारी अखिलेश दहिया ने बताया कि चाका भंटी पटेल बॉडी कैबिन रियेयर के यहां डंपर क्रमांक सीजी 04 पीसी 2687 रियेयर होने आया था। आज 9 जून की सुबह लगभग 11 बजे मकाम करने के दौरान अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल फायर ब्रिगेड की सूचित करते हुए कुठला पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। ट्रक से उड़ती तेज लातों को किसी तरह बुझकर आग पर काबू पाया गया। यहां पर यह बात सबसे प्रमुख है की घटना की सूचना में मिलते ही वहां पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने खुद मोर्चा संभालते हुए ट्रक की आग को बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। समय रहते आग पर काबू पा लेने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया।

थाना के अंदर नाबालिग की बेरहम पिटाई के भड़का आक्रोश, किया चकाजाम प्रदर्शन



पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और घंटों तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसके कपड़े उतरवाकर उसके साथ बेरहमी मारपीट की गई, जिससे वह अचेत हो गया। आक्रोशित ग्रामीण कथित तौर पर अचेत नाबालिग को बीच सड़क पर लिटाकर धरने पर बैठ गए और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस और

झूमाझपटी की स्थिति भी निर्मित हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से देखते ही देखते वाहनों के पहिए थम गए। जुहली मोड़ से लेकर मझगवां टोल प्लाजा तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे सैकड़ों यात्री और मालवाहक वाहन फंस गए। प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ता देख मौके पर तीन थानों की पुलिस समेत अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया।

जानकारी के अनुसार जुहला

आदिवासी मोहल्ले में कराया बोर खनन पेयजल समस्या का हुआ स्थायी समाधान

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ कटनी

ग्राम पंचायत मझगवां फाटक के आदिवासी मोहल्ले में लंबे समय से व्याप्त पेयजल संकट से जूझ रहे लगभग 20 से 25 परिवारों को बड़ी राहत मिल गई है। वर्षों से पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने जनहित में त्वरित और प्रभावी पहल कर क्षेत्र में नए बोर खनन का कार्य पूर्ण कराया है। लगभग एक माह पूर्व क्षेत्र में पेयजल संकट की शिकायत के रूप में नहीं लिया, बल्कि जनसेवा के अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए तत्काल संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया। उनके सतत प्रयासों और प्रभावी पहल के परिणामस्वरूप नए बोर की स्वीकृति प्राप्त हुई। स्थल निरीक्षण



जानकारी उन तक पहुंचाई। ग्रामीणों की समस्या की जानकारी मिलते ही श्री विश्वकर्मा ने इसे केवल एक शिकायत के रूप में नहीं लिया, बल्कि जनसेवा के अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए तत्काल संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया। उनके सतत प्रयासों और प्रभावी पहल के परिणामस्वरूप नए बोर की स्वीकृति प्राप्त हुई। स्थल निरीक्षण

कराया गया तथा सफलतापूर्वक बोर खनन का कार्य पूर्ण हो गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि श्री विश्वकर्मा ने इस समस्या को प्राथमिकता न दी होती तो उन्हें अभी भी पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ता। उनके प्रयासों से अब दर्जनों परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और दैनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। ग्रामीणों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सदैव जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। मझगवां फाटक के समस्त ग्रामवासियों ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए श्री विश्वकर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया।

